न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खोड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री शैतान सिंह पुत्र वचनसिंह जी देवडा, जाति- राजपूत, निवासी- पामेरा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, पामेरा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, पामेरा, तह. रेवदर, जिला- सिरोही
3. माली समाज, मालीवास, पामेरा जरिये लक्ष्मणलाल पुत्र प्रभुजी, जाति- माली, निवासी- पामेरा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 52/2020

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी, प्रार्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 20 मई, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी शैतानसिंह पुत्र वचनसिंह जी देवडा, जाति- राजपूत, निवासी- पामेरा की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा माली समाज, मालीवास, पामेरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर क्षेत्रफल 1332 वर्गफीट भूखण्ड् का जारी पट्टा विलेख संख्या 93 दिनांक 06.9.2019 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये एवं न ही अप्रार्थीगण की ओर से कोई लिखित जवाब प्रस्तुत हुआ। ऐसी स्थिति में, अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ग्राम पामेरा का निवासी है एवं पामेरा ग्राम में ही अपने परिवार सहित निवासी करता है। प्रार्थी व उसके भाई दलपतसिंह व तार कुंवर के कब्जे शुदा एवं कब्जे भोगवटे का भूखण्ड ग्राम पामेरा के मालीवास में आया हुआ था, लेकिन सरपंच व ग्रामवासियों ने प्रार्थी के कब्जे एवं भोगवटे के भूखण्ड को ग्राम के सार्वजनिक हितार्थ एवं सार्वजनिक चौक के रूप में उपयोग हेतु छोड़ने के लिये आग्रह करने पर तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रार्थी [illegible] पट्टा दूसरे स्थान पर देने का आश्वासन दिया, जिस पर प्रार्थी व [illegible] पा[illegible]जन ने कोई आपत्ति नही की एवं उक्त कब्जे भोगवटे के [illegible] हेतु छोड दिया।

.....पेज [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:17:01 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रार्थी के सार्वजनिक चौक एवं ग्राम के हित हेतु छोडे गये भूखण्ड् का ग्राम पंचायत, पामेरा के तत्कालीन सरपंच व सचिव ने विधि विरुद्ध तरीके से माली समाज, पामेरा के नाम से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर आवंटन करके माली समाज, पामेरा के नाम से पट्टा संख्या 93 दिनांक 06.9.2019 को जारी किया है, जिसके उत्तर में आम रास्ता गांव की ओर जाने का, दक्षिण में भूराराम माली का मकान, पूर्व में रास्ता नदी की ओर व पश्चिम रास्ता व माली वास है एव नाप 25x48=1332 वर्गफीट है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड् का आवंटन केवल उक्त नियम 158 में वर्णित श्रेणी के ऐसे व्यक्ति जिनके पास आवासीय मकान या भूखण्ड् नही है को ही किये जाने का प्रावधान है, लेकिन ग्राम पंचायत, पामेरा ने नियम 158 के तहत माली समाज, पामेरा को रियायती दर पर सार्वजनिक उपयोग हेतु छोडे गये भूखण्ड् का आवंटन किया है, जो विधि विरुद्ध है। उक्त नियम 158 के तहत किसी भी समाज या संस्था को रियायती दर पर भूखण्ड् का आवंटन करने का ग्राम पंचायत को कोई हक अधिकार नही है। माली समाज, पामेरा न तो रजिस्टर्ड संस्थान है एवं न ही माली समाज, पामेरा के रजिस्टर्ड संस्था होने का अस्तित्व ही है। प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूखण्ड प्रार्थी द्वारा ग्राम के सार्वजनिक हितार्थ छोडा गया था, जो सार्वजनिक चौक की भूमि है एवं ग्राम का चोहटा है, जहां पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है एवं शादी की बाराते रुकती है, लेकिन ग्राम पंचायत, पामेरा के तत्कालीन पदाधिकारियों ने मौके की जांच किये बिना ही एवं नियमों का उललंघन कर सार्वनिक उपयोग की भूमि का माली समाज, पामेरा को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा माली समाज, मालीवास, पामेरा के नाम से रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का जारी पट्टा विलेख संख्या 93 दिनांक 06.9.2019 को निरस्त किया जावे।

(5) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा माली समाज, मालीवास, पामेरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत नियम 158 के तहत क्षेत्रफल 1332 वर्गफीट भूखण्ड का रियायती दर पर आवंटन का पट्टा संख्या 93 दिनांक 06.9.2019 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अनुसार पंचायत, गांव आबादियों में 300 वर्गगज अर्थात् 2700 वर्गफीट तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गो के सदस्यों को, गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों जिनके पास स्वयं के गृह स्थल या गृह नही है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके [illegible] बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है को रियायती [illegible] कर सकेगी। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती [illegible] के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त श्रेणी के [illegible] दर पर भूखण्ड् का आवंटन किया जा सकता है।

......पेज तीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:17:01 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

चूंकि विचारणीय प्रकरण में ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा माली समाज, मालीवास, पामेरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन कर पट्टा जारी किया गया है, जबकि किसी भी समाज या संस्था को उक्त नियम 158 के तहत रियायती दर पर आबादी भूमि का आवंटन नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा माली समाज, मालीवास, पामेरा के पक्ष में रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन के जारी पट्टे को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा माली समाज, मालीवास, पामेरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत क्षेत्रफल 1332 वर्गफीट आबादी भूखण्ड आवंटन का रियायती दर पर जारी पट्टा संख्या 93 दिनांक 06.9.2019 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खोड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:17:01 IST
Reason: SelfAttested